नवभारत टाइम्स

एफएसएसएआई ने जैविक खाद्य पदार्थो के लिए नियम जारी किए

Dated :- 09-11-2017

नयी दिल्ली: नौ नवंबर खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने आज जैविक खाद्य पदार्थो के लिए एकीकृत नियमों को जारी किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये खाद्य पदार्थ वास्तव में जैविक हैं।

ग्रेटर नोएडा में हुए आर्गेनिक वर्ल्ड कांग्रेस में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार :एफएसएसएआई: ने जैविक खाद्य पदार्थो के लिए वास्तविकता और विास के लिए एक कॉमन लोगो का भी अनावरण किया।

एफएसएसएआई ने एक बयान में कहा कि कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने आयोजन में जैविक भारत का लोगो और इंडियन आगेर्निक इंटीग्रिटी डाटाबेस पोर्टल के साथ खाद्य सुरक्षा एवं मानक :जैविक खाद्य: अधिनियम 2017 की भी पेशकश की।

एपिडा और पीजीएस इंडिया के साथ एफएसएसएआई के द्वारा विकसित किये गये इस पोर्टल से उपभोक्ताओं को जैविक खाद्य होने की सुनिश्चितता को पुष्ट करने में मदद मिलेगी।

जैविक खाद्य के लिए अधिनियम में जैविक प्रमाणीकरण के दो मौजूदा प्रणाली - एपिडा के राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम एनपीओपी तथा कृषि मंत्रालय के भारतीय वाणिज्य एवं भागीदारी गारंटी प्रणाली विभाग पीजीएस..भारत को भी दायरे में लिया गया है।